संख्या-8/2016/क0नि0-4-227/11-2016-300(38)/2003

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 16 मार्च, 2016

विषयः-जनपद अलीगढ़ में निर्माणाधीन वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 के बजट से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-अलीगढ़-24-क0भ0निर्माण/2015-16/830/वाणिज्य कर, दिनॉक-29.02.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-20/2015/क0नि0-4-637/11-2015-300(38)/2003, दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं शासनादेश संख्या-46/2015/क0नि0-4-1537/11-2015-300(38)/2003, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट से रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल उ0प्र0 निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

1. आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टिया, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।
4. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन - 051 - निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1309-जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
धीरेन्द कुमार वर्मा,
उप सचिव।

संख्या- 8/2016/क0नि0-4-227 (1)/11-2016 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,इलाहबाद।
2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़ ,उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0,उ0प्र0जल निगम, यूनिट-25, अलीगढ़।
6- गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी(बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द कुमार वर्मा,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।